

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.5(9)नविवि / ॥ / 2014 / लूज

जयपुर, दिनांक

८ MAY 2018

आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित अभियन्ताओं का उनके नाम के सम्मुख स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :—

क्र. सं.	नाम	पद	कहां से	कहा को
1.	श्री प्यारेलाल मीणा	अधिशासी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विभाग राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड
2.	श्री गोपाल लाल शर्मा	अधिशासी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	प्रतिनियुक्ति पर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
3.	श्री डी.के. अग्रवाल	अधिशासी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विभाग जल संसाधन विभाग
4.	श्री रामेश्वर लाल माथुर	अधिशासी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	नगर निगम, बीकानेर
5.	श्री पंकज अग्रवाल	अधिशासी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	नगर निगम, बीकानेर
6.	श्री मनोहर मीणा	कनिष्ठ अभियन्ता	जोधपुर विकास प्राधिकरण, स्थानान्तरणाधीन	नगर विकास न्यास, अलवर
7.	कल्पना सुत्रकार	कनिष्ठ अभियन्ता	नगर विकास न्यास, बीकानेर	रुडसिको, जयपुर
8.	श्रीमती बाला मीणा	कनिष्ठ अभियन्ता	नगर निगम, अजमेर	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9.	श्री दीपक जांगिड	नगर नियोजन सहायक	नगर परिषद्, श्रीगंगानगर स्थानान्तरणाधीन	कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पद के विरुद्ध नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

आज्ञा से


 (राजेन्द्र सिंह, शख्खावत)
 संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
6. आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर।
7. आयुक्त, नगर निगम, अजमेर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर/बीकानेर/अलवर।
9. आयुक्त, नगर परिषद्, श्रीगंगानगर।
10. प्रबंध निदेशक, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
11. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
13. प्रबंध निदेशक, रुडसिको, जयपुर।
14. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
15. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त शासन सचिव-प्रथम